संख्या:58/2026/531/35-4-2026/35-4002(003)/74/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-333/त्व०आ०वि०यो०-प्र०/2025-26 दिनांक 14 मार्च, 2026 एवं पत्र सं0 350/त्व०आ०वि०यो०-प्र0/2025-26 दिनांक 19 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-बरेली में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु. 4763.95 लाख (रूपये सैंतालीस करोड़ तिरसठ लाख पंचान्नबे हजार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 2289.00 लाख (रूपये बाइस करोड़ नवासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	पीलीभीत रोड से सिल्वर स्ट्रेट होते हुए महानगर नदी तक इंटरलॉकिंग टाइल रोड का निर्माण	0.58	58.83	28.00	ग्रा0अ0वि0
2	ग्राम मनकरा पंचायत भवन से गोलकुण्डा बार्डर तक सड़क निर्माण।	1.32	80.72	39.00	ग्रा0अ0वि0
3	ग्राम खितौसा गौटिया से कैथोला तक सड़क निर्माण।	0.95	83.65	40.00	ग्रा0अ0वि0
4	ग्राम नन्दपुर से जसनपुर रोड तक सड़क निर्माण	1.65	78.39	38.00	ग्रा0अ0वि0
5	ग्राम हरचन्दपुर की पुलिया से चेना तक सड़क निर्माण	1.00	52.51	25.00	ग्रा0अ0वि0
6	ग्राम वरीपुरा से कस्बापुर मार्ग तक सड़क निर्माण	1.25	66.33	32.00	ग्रा0अ0वि0
7	ग्राम मियांपुर से गूलरडांडी तक सड़क निर्माण	1.12	62.20	30.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8	रम्पुरा अलीगंज संपर्क मार्ग पर ग्राम परा बहाउद्दीन मार्ग से किशनपुर जायदपुर तक मार्ग का डामरीकरण।	0.75	50.62	24.00	ग्रा0अ0वि0
9	करगैना बी0डी0ए0 मार्ग से ग्राम पंचायत करगैना में पाल मेडिकल स्टोर से वीरेन्द्र शाक्य के मकान तक मार्ग पर इंटरलॉकिंग कार्य।	0.45	43.79	21.00	ग्रा0अ0वि0
10	ग्राम करुवाताल से रमनगला पेट्रोल पम्प तक खड़ंजे पर लेपन कार्य	1.80	108.74	52.00	ग्रा0अ0वि0
11	आंवला रामनगर मार्ग पर ग्राम मउचन्दपुर पुल से ग्राम बरीखेड़ा खड़ंजे पर लेपन कार्य	0.75	51.02	24.00	ग्रा0अ0वि0
12	ग्राम मँझा से भंजा गौटीया तक पक्की सड़क (इन्टरलॉक्किंग) का निर्माण कार्य	0.68	38.85	19.00	ग्रा0अ0वि0
13	चंपतपुर से ग्राम कीटौना देवकोला मार्ग खड़ंजे पर पक्की सँड़क का निर्माण कार्य	1.00	62.22	30.00	ग्रा0अ0वि0
14	लक्ष्मीपुर से धन्ना वाली गौटीया तक खड़ंजे पर लेपन कार्य	1.60	104.08	50.00	ग्रा0अ0वि0
15	ग्राम कतरोई ठकुरान से ग्राम कतरोई बुजुर्ग तक पक्की संडक का निर्माण कार्य	1.05	63.42	30.00	ग्रा0अ0वि0
16	ग्राम गुलेली से ग्राम खिरिया खड़ंजा पर लेपन कार्य	1.10	70.85	34.00	ग्रा0अ0वि0
17	मो० बसंत बिहार में संध्या सक्सेना के घर में अनुज सक्सेना के घर तक सी० सी० व श्याम सिंह के घर से सियाराम सागर के घर तक एवं मो० बसंत बिहार में नरेन्द्र पाल सिंह के घर से श्री छोटे लाल मास्टर के घर तक तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.24	33.01	16.00	ग्रा0अ0वि0
18	मो० बसंत विहार फेस-2 में श्री छोटे लाल के घर से जितेन्द्र मोहन जोशी के घर होते हुए, राजेन्द्र गंगवार के घर तक एवं लिंक गली पार्क से के०के० गुप्ता के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.23	29.20	14.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

19	मो० बसंत विहार फेस-2 में अहिवरन लाल के घर से पवन कुमार के घर होते हुए भुवनेश कुमार के मकान तक एवं विजय अग्रवाल के मकान से रमेश के मकान होते हुए मुख्य मार्ग तक और मो० बसंत विहार में रूपचंद शर्मा के घर से महेन्द्र गंगवार के घर तक एवं श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव के घर में चेतपाल गंगवार के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.32	39.23	19.00	ग्रा0अ0वि0
20	मो० बसंत विहार फेस-2 में पाराशरी के मकान से आर०के० शर्मा की दुकान तक एवं दिनेश गंगवार के घर से नरेश गंगवार के घर होते हुए नई पुलिया तक व लिंक साइड गली में सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.20	33.86	16.00	ग्रा0अ0वि0
21	मो० आशुतोष सिटी में पतंजली स्टोर से हिर्देश सक्सेना के घर होते हुए मलिकराम के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.23	39.91	19.00	ग्रा0अ0वि0
22	मो० आशुतोष सिटी में मुनीश सक्सेना के मकान से कैलाश जोशी के मकान तक एवं आशीष गंगवार के मकान से आर्येन्द्र शर्मा के मकान तक व पातंजली स्टोर के सामने विनोद चौहान के मकान से दरोगा जी के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.20	37.80	18.00	ग्रा0अ0वि0
23	मो० वीरसावरकर नगर के सामने पी०एन०बी० कालोनी में दीपक सक्सेना के घर से एम०ई०एस० कालोनी 2 नवनिर्मित पार्क के आगे कालोनी के गेट तक व मो० पी०एन०बी० कालोनी के मुख्य दुवार से पार्क के निकट होते हुए अंत तक व मुख्य दुवार से वीरसावरकर नगर वाले मुख्य मार्ग तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.23	39.78	19.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

24	मो० नार्थ सिटी पाकेट 'ए' में डॉ० एस०के० भारद्वाज के मकान सं० सी-10 से सी-2 एवं ए-1 से ए-4 व सी-10 से ए-5 व सी-11 से संदीप गुप्ता होते हुए केशव पाराशर से सुरेन्द्र गुप्ता के घर से कॉलोनी के मुख्य गेट तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.26	38.28	18.00	ग्रा0अ0वि0
25	मो० वीरसावरकर नगर में लविस सक्सेना के मकान से विनोद कुमार अग्रवाल के मकान तक व महेश पुरी के मकान से अनूप कुमार के मकान तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.20	22.95	11.00	ग्रा0अ0वि0
26	मो० जवाहर नगर में आर०के० रूपनवाल जी के घर से जे. पी. टेलर के कार्नर तक एवं श्रीराम विहार कालोनी में अनिल पटवा के घर से वैष्णवी ब्यूटी पार्लर की ओर सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.20	38.75	19.00	ग्रा0अ0वि0
27	मो० संजय नगर मुख्य मार्ग गुलशन गार्डन बारात घर से श्रीमती सीता पटेल पार्षद के घर तक व मो० तुलाशेरपुर में सौ फिटा मुख्य रोड राजीव इन्कलेव से मन्दिर (ब्रह्मदेव महाराज) तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.25	48.13	23.00	ग्रा0अ0वि0
28	मो० एल०आई०सी० कालोनी में सरोज के घर से बनवारीलाल सागर के मकान होते हुए महावीर के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.20	39.41	19.00	ग्रा0अ0वि0
29	मो० संजय नगर में सेंट फ्रांसिस इण्टर कॉलेज के गेट नं०-4 राज के मकान से जति के मकान तक एवं राजाराम घर से सेंट फ्रांसिस के गेट नं०-5 तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.20	19.04	9.00	ग्रा0अ0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

30	मो० आशुतोष सिटी में नीरज पांडे के मकान से बंटी सक्सेना के मकान तक व मास्टर धीर सिंह के घर से राजेश श्रीवास्तव के घर होते हुए कुशल कुमार के घर तक सीसी रोड व नाली निर्माण कार्य	0.26	39.80	19.00	ग्रा0अ0वि0
31	मढ़वा से वंशीपुर तक सड़क का निर्माण कार्य।	0.72	42.23	20.00	ग्रा0अ0वि0
32	सेवा ज्वालापुर में छेदालाल के घर से हेमराज के घर तक सड़क का निर्माण कार्य।	0.65	54.02	26.00	ग्रा0अ0वि0
33	कुरतरा से लक्ष्मणजती मन्दिर होते हुए सतुईया खास तक सड़क का निर्माण कार्य।	1.07	73.07	35.00	ग्रा0अ0वि0
34	मदनापुर में रम्पुरा जाटान होते हुये बड़ी सिमरिया तक सडक का निर्माण कार्य।	0.55	41.11	20.00	ग्रा0अ0वि0
35	खिदाईपुर से आनन्दपुर गौटिया तक सडक का निर्माण कार्य।	1.25	72.04	35.00	ग्रा0अ0वि0
36	नगरिया कल्याण से संजरपुर रोड तक सडक का निर्माण कार्य।	0.75	43.81	21.00	ग्रा0अ0वि0
37	बल्ली से उत्तर की ओर शीशगढ मार्ग तक सडक का निर्माण कार्य।	0.66	42.04	20.00	ग्रा0अ0वि0
38	अनुबिस डिग्री कॉलेज, एन0एच0-24 से ग्राम परौरा मार्ग तक सडक का निर्माण कार्य।	0.90	52.12	25.00	ग्रा0अ0वि0
39	बकेनिया वीरपुर से दुनका तक सडक का निर्माण कार्य।	1.57	78.61	38.00	ग्रा0अ0वि0
40	वार्ड नं0 - 04 में राकेश के मकान तक व संतोषी माता मन्दिर से राना व ब्रजलाल एवं लिंक गलिया व नाली इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	0.27	26.72	13.00	ग्रा0अ0वि0
41	वार्ड न0 - 04 में पृथ्वीनाथ की कोठी से मन्दिर तक भोले नाथ के मन्दिर के सामने वाली गली व लिंक गलियों में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य ।	0.43	45.89	22.00	ग्रा0अ0वि0
42	वार्ड न0 - 06 में नवादा शेखान में सैमसंग इलेक्ट्रनिक शोरूम के बराबर से आगे तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	0.23	27.32	13.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

43	वार्ड न0 - 07 पटेल विहार गली न0 - 17 में फौजी के मकान से तोताराम के प्लाट होते हुए नेहा गिरि के मकान तक एवं लिंक गलिया ओम प्रकाश राधे श्याम ताराचन्द्र जगन लाल के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	0.28	30.54	15.00	ग्रा0अ0वि0
44	वार्ड न0 - 07 गली न0 14 पुनीत के घर से भूदेव व सालिक राम के घर व राजू टेलर तक इंटरलॉकिंगसड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.26	35.13	17.00	ग्रा0अ0वि0
45	वार्ड न0 - 07 राजीव कालोनी में गली न0 - 14 राजू टेलर के घर होते हुए शिप्रा स्कूल की तरफ इंटरलॉकिंगसड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.17	26.00	12.00	ग्रा0अ0वि0
46	वार्ड न0 - 07 पटेल विहार में मुन्नालाल और शनि, दिनेश के घर होते हुए नवीन के घर से ठाकुर के घर और धीरज के मकान से बबलू के मकान तक और लाला राम वाली गली व एस के टिम्बर से पानी की टंकी तक इंटरलॉकिंगसड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.58	64.12	31.00	ग्रा0अ0वि0
47	वार्ड न0 - 11 नवदुर्गा मन्दिर से सीताराम मन्दिर होते हुए बालजती तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य एवं कटरा चाँद खाँ में राजकुमार ज्वैलर्स की दुकान से दुर्गा मन्दिर तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	0.27	29.38	14.00	ग्रा0अ0वि0
48	वार्ड न0 - 13 शान्ति विहार में फौजी की टाल से अशोक की दुकान तक अशोक की दुकान विष्ट के मकान से होते हुए कैलाश यादव वाली गली तक एवं लिंक गलियाँ तक इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.60	58.66	28.00	ग्रा0अ0वि0
49	वार्ड न0 - 13 में मिटटु कश्यप से प्रदीप सिंह के मकान होते हुए प्रयागों स्कूल तक इंटरलॉकिंगसड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.13	11.53	6.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

50	वार्ड न0 - 13 गणेश नगर में प्रहलाद नगर में वंशी नगला रोड यशोदा के मकान होते हुए गेंदन लाल व कमल कश्यप की ओर सकसेना जी के मकान से विक्रम गुप्ता व अनुज शर्मा के मकान तक इंटरलॉकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	0.36	32.30	16.00	ग्रा0अ0वि0
51	वार्ड न0 - 17 हरूनगला में राजकुमार के मकान से शिव मन्दिर के आगे दोनों तरफ व राजकुमार के मकान से होते हुए होली चोक दोनों तरफ इंटरलॉकिंगसड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.50	46.02	22.00	ग्रा0अ0वि0
52	वार्ड न0- 62 चक महमूद के मौर्या वाली गली वीनू वावा के मन्दिर वाली गली से वीनू वावा के मकान तक व रामगोपाल स्कूल वाली गली में इंटरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.25	19.96	10.00	ग्रा0अ0वि0
53	वार्ड न0 - 62 चक महमूद में डा० सुरेश व रामदास मौर्य वाली गली में इंटरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.22	19.24	9.00	ग्रा0अ0वि0
54	वार्ड नं0-17 में फेस 5 पवन विहार में प्रदीप गोयल के मकान से प्रवीन के मकान से आगे तक इंटरलॉकिंग सडक निर्माण कार्य।	0.15	26.36	13.00	ग्रा0अ0वि0
55	ग्राम नवदिया में भजन लाल के मकान से लंगूरा मन्दिर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.61	50.92	24.00	ग्रा0अ0वि0
56	ग्राम बल्लिया में पुलिया से पप्पू कश्यप के मकान से पंकज जायसवाल के मकान तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.51	60.90	29.00	ग्रा0अ0वि0
57	ग्राम चम्पतपुर में मेन रोड़ से मन्दिर के आगे तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.51	47.23	23.00	ग्रा0अ0वि0
58	ग्राम कांधरपुर में यशवीर लोधी (मण्डल अध्यक्ष) के मकान से विश्वास महाजन के मकान तक, इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.29	39.51	19.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

59	ग्राम हेवतपुर में पक्की पुलिया से कांता प्रसाद के मोड़ तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.35	33.21	16.00	ग्रा0अ0वि0
60	ग्राम नथा गौटिया में शिव मन्दिर से छेदा लाल मीठे के बाग होते हुये रेलवे अंडर पास तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.30	27.31	13.00	ग्रा0अ0वि0
61	ग्राम श्यामपुर में प्रा० विद्यालय से राम सिंह के तिराहा तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.29	31.07	15.00	ग्रा0अ0वि0
62	ग्राम दिगोई में रघुवीर सिंह के मकान से जूनियर विद्यालय तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.28	35.17	17.00	ग्रा0अ0वि0
63	ग्राम गर्हरा में मेंन रोड पुलिया से यज्ञशाला तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.34	36.22	17.00	ग्रा0अ0वि0
64	ग्राम पंचायत हर्रमपुर में बब्लू के मकान के सामने से बनारा मार्ग तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.22	22.96	11.00	ग्रा0अ0वि0
65	ग्राम शिवनगर से ग्राम कांधरपुर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.60	40.08	19.00	ग्रा0अ0वि0
66	ग्राम उमरसिया में शिव मन्दिर से नरेश के मकान तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.30	19.85	10.00	ग्रा0अ0वि0
67	ग्राम चनहेटी में ओम प्रकाश की पुलिया से कांधरपुर तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.31	40.74	20.00	ग्रा0अ0वि0
68	ग्राम बलेई में संजय सिंह के मकान से धर्मवीर के मकान तक इंटर लॉकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.15	13.48	6.00	ग्रा0अ0वि0
69	ग्राम ढकिया बरकली से तिगरी तक सड़क निर्माण कार्य	1.39	74.09	36.00	ग्रा0अ0वि0
70	ग्राम दिवनापुर पुर से जोगीठेर तक सड़क निर्माण कार्य	1.29	76.46	37.00	ग्रा0अ0वि0
71	ग्राम चौखण्डी से अल्हैया तक सड़क निर्माण कार्य	2.13	111.67	54.00	ग्रा0अ0वि0
72	ग्राम हरहरपुर मटकली मार्ग की पुलिया से कमुआ तक सड़क निर्माण कार्य	0.47	24.20	12.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

73	ग्राम पनवडिया इलाका जलालपुर से रम्पुरा तक सड़क निर्माण कार्य	1.87	131.84	63.00	ग्रा0अ0वि0
74	ग्राम नरहरपुर की पुलिया से गौटिया होते हुये पहरापुर तक सड़क निर्माण कार्य	1.19	80.46	39.00	ग्रा0अ0वि0
75	हाफिजगंज नहर पुलिया से ग्राम वसूपुरा तक सड़क निर्माण कार्य।	2.07	99.35	48.00	ग्रा0अ0वि0
76	ग्राम टांडा विकास खण्ड शेरगढ में आर0बी0 डिग्री कालेज से मोहिउद्दीनपुर तक सडक का निर्माण कार्य।	0.60	35.97	17.00	ग्रा0अ0वि0
77	ग्राम बंजरिया जागीर में पुलिया से भूरा के घर होते हुये मेन रोड तक एवं मो0 सलीम के घर से मो0 याकूब की दुकान तक सडक का निर्माण कार्य।	0.52	26.49	13.00	ग्रा0अ0वि0
78	ग्राम डहिया में दन्ने उस्ताद के घर से नवी शेर खां के घर होते हुये धौरा-टांडा मार्ग तक सडक का निर्माण कार्य।	0.51	37.35	18.00	ग्रा0अ0वि0
79	मेहिउद्दीनपुर के पश्चिम तालाब के किनारे से गांव होते हुए इंटरलॉकिंग टाइल रोड का निर्माण कार्य।	0.50	49.74	24.00	ग्रा0अ0वि0
80	घन्घोरा पिपरिया मार्ग से हनुमान मंदिर तक इंटरलॉकिंग टाइल रोड का निर्माण कार्य	0.50	55.97	27.00	ग्रा0अ0वि0
81	ग्राम मबई से मुड़िया चेतराम की नहर पुलिया तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य	1.05	67.28	32.00	ग्रा0अ0वि0
82	ढकिया मार्ग से आनन्दीपुर तक लालताप्रसाद गंगवार के मकान तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य	0.45	24.75	12.00	ग्रा0अ0वि0
83	धौरैरा माफी से पोस्ट ऑफिस वाली रोड से मंदिर तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य	0.37	24.87	12.00	ग्रा0अ0वि0
84	मैमोर मार्ग से मैमोर गौटिया तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य	0.53	47.14	23.00	ग्रा0अ0वि0
85	डोहरा लालपुर से भीटानाथ मंदिर तक संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.75	45.23	22.00	ग्रा0अ0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

86	बरेली पीलीभीत मार्ग से महानगर कॉलोनी के छत्रपति शिवजी चौक तक इंटरलॉकिंग टाइल रोड निर्माण कार्य	0.49	69.03	33.00	ग्रा0अ0वि0
87	मंगतपुर में पोथीराम गंगवार के मकान से पंचायत घर तक पक्की सडक का निर्माण कार्य	0.15	9.98	5.00	ग्रा0अ0वि0
88	सब्जीपुर खाता के प्राथमिक विद्यालय से निर्बुआ तक पक्की सडक का निर्माण कार्य।	1.45	88.39	42.00	ग्रा0अ0वि0
89	रम्पुरा-अलीगंज मार्ग से हीरालाल मौर्य के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल रोड का निर्माण कार्य।	0.20	14.19	7.00	ग्रा0अ0वि0
90	ग्राम पंचायत सिसैया मगनपुर में पढ़ेरा रोड से प्राचीन शिव मन्दिर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.58	67.18	32.00	ग्रा0अ0वि0
91	ग्राम पंचायत ढकनी रजपुरी में श्री रामचन्द्र के घर से श्री राममूर्ति के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.35	43.41	21.00	ग्रा0अ0वि0
92	ग्राम पंचायत धौरेरा में गन्ना सेन्टर से श्री सुखलाल के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.60	36.83	18.00	ग्रा0अ0वि0
93	ग्राम चन्दपुर बिचपुरी मेन रोड नहर की पुलिया से लेकर ग्रीन लीफ बारातघर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	0.60	50.67	24.00	ग्रा0अ0वि0
94	जिला बरेली के मो0 गुलाब नगर में कटिहा जी चौक व उसके निकटश्री शनिदेव मन्दिर से डलाब वाली गली होते श्री हनुमान मन्दिर चाहबाई के आगे तक सड़क	0.50	58.29	28.00	ग्रा0अ0वि0
95	ग्राम पंचायत कंथरी जाफरपुर से ग्राम मजरा बिजई नगला तक मार्ग निर्माण कार्य।	1.25	77.66	37.00	ग्रा0अ0वि0
96	अमरता इलाका बुधौली से इटौरिया की ओर मार्ग का निर्माण कार्य।	0.75	46.10	22.00	ग्रा0अ0वि0
97	ग्राम पंचायत खनपुरा में श्री हीरालाल के घर से श्री रामप्रताप की बैठक तक मार्ग का निर्माण	0.86	54.34	26.00	ग्रा0अ0वि0
98	ग्राम पंचायत रजपुरी नवादा में गाटा सं0 287 से अन्दर की ओर सरकारी चकमार्ग का निर्माण कार्य।	0.90	62.78	30.00	ग्रा0अ0वि0
	योग		**4763.95**	**2289.00**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सैंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त कार्यों में से (1) **क्रमांक-17 से 30 एवं 40 से 54** पर इंगित कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 4,80,00,000 (रू0 चार करोड़ अस्सी लाख मात्र) को 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-**0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था**-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे तथा (2) शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 18,09,00,000 (रू0 अट्ठारह करोड़ नौ लाख मात्र) को **लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:58/2026/531(1)/35-4-2025/35-4002(003)/74/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, बरेली मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बरेली।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बरेली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।